क्रमांक 2822-1 जी: एस: 1-76/14794

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़

दिनांक चण्डीगढ़ 10 जून, 1976

विषय : हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्य को नियन्त्रण करने वाले विनियमों तथा अनुदेशों से सम्बन्धित बुकलैट के भाग 4 के पैरा 2 तथा अपैंडिक्स-1 में संशोधन।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्य को नियन्त्रण करने वाले विनियमों तथा अनुदेशों से सम्बन्धित बुकलैट के भाग 4 के पैरा 2 में निम्नलिखित व्यवस्था है :-

> "2. No reference shall be made to the Commission without the approval of the Minister concerned. The Administrative Secretary concerned shall be responsible or ensuring that all cases in which it is necessary to consult the Commission are brought to the notice of the Minister."

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार लोक सेवा आयोग को किसी अनुशासनिक आदि मामले में सन्दर्भ करने से पहले सम्बन्धित विभागीय मंत्री की अनुमति की आवश्यकता है। सरकार के ध्यान में एक ऐसा मामला आया है कि विभागाध्यक्ष ने किसी श्रेणी II के अधिकारी को एक वेतन वृद्धि (भविष्य में प्रभाव सहित) रोकने की सजा आयोग के अनुमोदन से दे दी, जिसके लिए वे सम्बन्धित विभागीय सेवा नियमों के तहत सक्षम थे, किन्तु आयोग को सन्दर्भ करने से पूर्व सम्बन्धित मंत्री की अनुमति प्राप्त नहीं की। इस बारे में सरकार ने विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त पैरे को निम्नप्रकार से तदानुसार बदल कर यह व्यवस्था कर दी जाये कि किसी विभागाध्यक्ष द्वारा आयोग को सन्दर्भ करने से पहले सम्बन्धित मंत्री की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ताकि अपील पर सरकार के आदेश के विरुद्ध prejudiced होने का चार्ज न लग सके तथा विभागाध्क्षों का कार्य शिघ्रता से हो सके:-

> "2. No reference shall be made to the Commission by the Administrative Secretary concerned without the approval of the Minister concerned but in the case of reference made to the Commission by a Head of Department the approval of the Minister concerned will not be necessary. The Administrative Secretary concerned shall be responsible for ensuring that all cases in which it is necessary to consult the Commission at the Government level are brought to the notice of the Minister."

2. हरियाणा लोक सेवा आयोग (कार्य प्रसीमम) विनियम, 1973 के विनियम 6(ए) की व्यवस्था के अनुसार विभागाध्य[illegible] को श्रेणी II के अधिकारी को केवल कुछ ही लघु दण्ड देने हेतु ओरिजनल आदेश जारी करने से पूर्व लोक सेवा आयोग [illegible] प्रमर्श से छूट है जबकि उपरोक्त बुकलैक के अपैंडिक्स-I की व्यवस्था के अनुसार सभी प्रकार के (लघु तथा बड़ा) दण्ड देने हे[illegible] ओरिजनल आदेश जारी करने से पूर्व आयोग के परामर्श से छूट है। अत: उपरोक्त अपैंडिक्स-I को उपरोक्त विनियम[illegible]